दिनांक 09.03.2017 को प्रधान सचिव, कृषि की अध्यक्षता में नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी के तहत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) के अंतर्गत किसान पुरस्कार योजना कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु संशोधित कार्यान्वयन अनुदेश/नए स्वरूप में लागू करने पर विचार–विमर्श हेतु आयोजित विशेष बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति – अलग से संचिका में संधारित।

1. किसान पुरस्कार कार्यक्रम 2016–17 को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि संशोधित अनुदेश के आलोक में वर्ष 2017–18 में किसान पुरस्कार कार्यक्रम के कार्यान्वयन की कार्रवाई की जाएगी।
2. किसान पुरस्कार कार्यक्रम 2016–17 अंतर्गत आवेदन देने वाले सभी किसानों के निबंधन शुल्क की राशि अविलम्ब वापस किया जाए।
3. किसान पुरस्कार कार्यक्रम अंतर्गत धान, गेहूँ, आलू, गायपालन (क्रॉस ब्रीड) एवं मत्स्यपालन प्रक्षेत्र में आगामी वर्ष में पुरस्कार एवं प्रशंसा पत्र देने का निर्णय लिया गया।
4. किसान पुरस्कार कार्यक्रम के कार्यान्वयन अनुदेश को संशोधित करने का निर्णय लिया गया तथा लिए गए निर्णय के आलोक में संशोधित कार्यान्वयन अनुदेश तैयार किया गया जो अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है।
5. गलत आवेदन पत्र देकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले का पुरस्कार निरस्त करते हुए उसके विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

शशि भूषण 11/03/17	11/3/17	16.3.2017
(शशि भूषण कुमार विद्यार्थी)	**(गणेश राम)**	**(सुधीर कुमार)**
उप निदेशक (प्रसार प्रबंधन)	**निदेशक**	**प्रधान सचिव, कृषि**
बामेती, बिहार, पटना	**बामेती, बिहार, पटना**	**बिहार, पटना**

दिनांक 09.03.2017 को प्रधान सचिव, कृषि की अध्यक्षता में नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी के तहत सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) के अंतर्गत किसान पुरस्कार योजना कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु संशोधित कार्यान्वयन अनुदेश/नए स्वरूप में लागू करने पर विचार–विमर्श हेतु आयोजित विशेष बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति – अलग से संचिका में संधारित।

1. किसान पुरस्कार कार्यक्रम 2016–17 को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि संशोधित अनुदेश के आलोक में वर्ष 2017–18 में किसान पुरस्कार कार्यक्रम के कार्यान्वयन की कार्रवाई की जाएगी।
2. किसान पुरस्कार कार्यक्रम 2016–17 अंतर्गत आवेदन देने वाले सभी किसानों के निबंधन शुल्क की राशि अविलम्ब वापस किया जाए।
3. किसान पुरस्कार कार्यक्रम अंतर्गत धान, गेहूँ, आलू, गायपालन (क्रॉस ब्रीड) एवं मत्स्यपालन प्रक्षेत्र में आगामी वर्ष में पुरस्कार एवं प्रशंसा पत्र देने का निर्णय लिया गया।
4. किसान पुरस्कार कार्यक्रम के कार्यान्वयन अनुदेश को संशोधित करने का निर्णय लिया गया तथा लिए गए निर्णय के आलोक में संशोधित कार्यान्वयन अनुदेश तैयार किया गया जो अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है।
5. गलत आवेदन पत्र देकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले का पुरस्कार निरस्त करते हुए उसके विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

11/03/17	11/3/17	16.3.2017
(शशि भूषण कुमार विद्यार्थी)	**(गणेश राम)**	**(सुधीर कुमार)**
उप निदेशक (प्रसार प्रबंधन)	**निदेशक**	**प्रधान सचिव, कृषि**
बामेती, बिहार, पटना	**बामेती, बिहार, पटना**	**बिहार, पटना**

ज्ञापांक 22/बामेती, पटना/2016–17/356 दिनांक – 20.3.17

प्रतिलिपि–सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त कृषि निदेशक/जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, आत्मा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/17
निदेशक
बामेती, बिहार, पटना

ज्ञापांक 22/बामेती, पटना/2016–17/356 दिनांक – 20.3.17

प्रतिलिपि–निदेशक, पी0पी0एम0, बिहार/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार/निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी, बिहार/निदेशक, अनुसंधान, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/अपर निदेशक (शष्य)–सह–प्रभारी पदाधिकारी, आत्मा नोडल सेल, बिहार/संयुक्त निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण, बिहार/उप निदेशक (शष्य)पी0पी0एम, बिहार/संयुक्त निदेशक (शष्य), पटना प्रमंडल, पटना/सहायक निदेशक उद्यान, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

20/3/17
निदेशक
बामेती, बिहार, पटना

ज्ञापांक 22/बामेती, पटना/2016–17/356 दिनांक – 20.3.17

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, कृषि, बिहार/निदेशक कृषि, बिहार/विशेष सचिव–सह–आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि विभाग, बिहार/निदेशक, उद्यान, बिहार/निदेशक, पशुपालन, बिहार/निदेशक, मत्स्यपालन, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह० 20/3/17

निदेशक

बामेती, बिहार, पटना

अनुसूची–1

बिहार सरकार
कृषि विभाग

नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलोजी के तहत सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) अंतर्गत

किसान पुरस्कार कार्यक्रम 2017-18 के कार्यान्वयन हेतु अनुदेश

BAMETI

बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती)
पोस्ट– बिहार भेटनरी कॉलेज, पटना – 800014

(187)

नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलोजी के तहत सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) अंतर्गत किसान पुरस्कार कार्यक्रम 2017-18 के कार्यान्वयन हेतु अनुदेश

1. परिचय – नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलोजी के अंतर्गत सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन द्वारा नई आत्मा योजना में कृषि प्रसार तंत्र को सक्षम एवं प्रभावकारी बनाया जाना है। इसके लिए प्रशिक्षण, प्रत्यक्षण, परिभ्रमण, किसान पाठशाला का संचालन, कृषक हित समूह का गठन, खाद्य सुरक्षा समूह का गठन आदि के माध्यम से कृषि की उन्नत तकनीकी को हस्तानांतरित करते हुए बिहार के किसानों को सशक्त एवं स्वावलंबी बनाया जाएगा। किसान मेला/गोष्ठी/सम्मेलन/कर्मशाला/किसान वैज्ञानिक संवाद आदि का आयोजन करके किसानों को कार्य कुशल बनाया जाएगा। राज्य में अतिविशिष्ट/उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों की सफलताओं को अन्य किसानों के बीच प्रचारित एवं प्रसारित किया जाना है। इसलिए सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन (आत्मा योजना) 2016–17 अंतर्गत प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर कृषि एवं कृषि के संबद्ध क्षेत्रों यथा उद्यान, पशुपालन, मत्स्यपालन एवं डेयरी आदि में अतिविशिष्ट/उत्कृष्ट कार्यों एवं उपलब्धियों के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु किसान पुरस्कार योजना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई है।

2. कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य–

i. अतिविशिष्ट/उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों की उपलब्धियों को अन्य किसानों के बीच प्रचारित करना ताकि वे इसे अपनाकर इसका लाभ उठा सकें।

ii. अतिविशिष्ट/उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करना।

iii. कृषि एवं कृषि से सम्बद्ध क्षेत्रों की उन्नत तकनीकी को जल्द से जल्द कृषकों के बीच प्रचारित एवं प्रसारित करना।

iv. किसानों के बीच प्रतियोगिता की भावना विकसित करना।

v. किसानों को सशक्त एवं स्वावलम्बी बनाना।

3. कार्यक्रम का लक्ष्य– वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रखंड, जिला एवं राज्य स्तर पर प्रक्षेत्र/व्यवसायवार पुरस्कार वितरण का लक्ष्य निम्न प्रकार से है –

क्र0 सं0	स्तर	प्रति किसान पुरस्कार का दर (रू0 लाख में)	लक्ष्य		प्रक्षेत्र/व्यवसाय का नाम एवं पुरस्कार की सं0
			भौतिक	वित्तीय (रू0 लाख में)	
1.	प्रखंड	0.10	534x5 = 2670	267.0	संकर धान – 01 गेहूँ – 01 आलू – 01 गाय पालन (क्रॉस ब्रीड) – 01 मत्स्यपालन – 01
2.	जिला	0.25	05x38 = 190	47.5	संकर धान – 01 गेहूँ – 01 आलू – 01 गाय पालन (क्रॉस ब्रीड) – 01 मत्स्यपालन – 01
3.	राज्य	0.50	05	2.50	संकर धान – 01 गेहूँ – 01 आलू – 01 गाय पालन (क्रॉस ब्रीड) – 01 मत्स्यपालन – 01

4. पुरस्कार का विवरण– समारोह आयोजित कर किसान को निम्न रूपों में पुरस्कृत किया जाएगा–

क्र0सं0	स्तर	पुरस्कार का विवरण (प्रति किसान)		
		नगद	प्रशस्ति पत्र	पुरस्कार का प्रकार
1.	प्रखंड	10,000 रू0	01 अदद	किसान श्री
2.	जिला	25,000 रू0	01 अदद	किसान गौरव
3.	राज्य	50,000 रू0	01 अदद	किसान श्रेष्ठ

185

5. कृषक पुरस्कार हेतु शर्त्तें/मापदण्ड – किसानें के चयन हेतु मापदण्ड प्रक्षेत्रवार निम्न प्रकार से है–

I. **खाद्यान्न/दलहनी/तेलहनी फसल**– इस क्षेत्र में चयन का आधार गुणवत्तापूर्ण अधिकतम उत्पादकता (क्वि0/एकड़) होगी। उत्पादकता का निर्धारण खेत में 10m X 5m = 50 वर्गमीटर में फसल जाँच कटनी आयोजित कर किया जाएगा।

ii. **सब्जी फसल**– इस क्षेत्र में चयन का आधार गुणवत्तापूर्ण अधिकतम उत्पादकता (क्वि0/एकड़) होगी। उत्पादकता का निर्धारण खेत में 1m X 1m = 1 वर्गमीटर में फसल जाँच कटनी आयोजित कर किया जाएगा।

iii. **गायपालन** – गायपालन के लिए कृषक पुरस्कार हेतु शर्त एवं मापदण्ड का निर्धारण निदेशक पशुपालन, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा ।

iv. **मत्स्यपालन** – मत्स्यपालन के लिए कृषक पुरस्कार हेतु शर्त एवं मापदण्ड का निर्धारण निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा ।

6. किसान की पात्रता – किसान पुरस्कार के लिए किसान की पात्रता निम्न प्रकार से होगी –

I. **कृषि प्रक्षेत्र** – संबंधित किसान कृषि (खाद्यान्न) के क्षेत्र में कम–से–कम आधा एकड़ में फसल लगाया हो।

ii. **उद्यान प्रक्षेत्र** – संबंधित किसान कम से कम 0.25 एकड़ में सब्जी की खेती किया हो।

iii. **मस्यपालन** – इसके लिए संबंधित किसान के पास कम से कम एक तालाब उपलब्ध हो जिसका जलक्षेत्र 0.5 एकड़ होना चाहिए।

iv. **गायपालन** – इसके लिए संबंधित किसान के पास कम से कम दो दूधारू गाय (क्रॉस ब्रीड) उपलब्ध हो।

7. पुरस्कार हेतु न्यूनतम उत्पादकता का निर्धारण – आवेदक को अपने फसल/ईकाई का प्रति ईकाई औसत उत्पादकता निम्न से कम नहीं होना चाहिए।

क्र0 सं0	व्यवसाय/ ईकाई का नाम	न्यूनतम उत्पादकता प्रति ईकाई	अभ्युक्ति
1.	धान	60 क्वि0 प्रति हेक्टेयर	
2.	रबी संकर मक्का	80 क्वि0 प्रति हेक्टेयर	
3.	अरहर	15 क्वि0 प्रति हेक्टेयर	
4.	गेहूँ	40 क्वि0 प्रति हेक्टेयर	
5.	आलू	250 क्वि0 प्रति हेक्टेयर	

184

6.	चना	15 क्वि0 प्रति हेक्टेयर	
7.	मसूर	12 क्वि0 प्रति हेक्टेयर	
8.	राई / सरसो	10 क्वि0 प्रति हेक्टेयर	
9.	गाय पालन (क्रॉस ब्रीड)	10 लीटर दूध प्रति गाय प्रति शाम (औसत)	
10.	गाय पालन (देशी)	03 लीटर दूध प्रति गाय प्रति शाम (औसत)	
11.	प्याज	200 क्वि0 प्रति हेक्टेयर	
12.	गरमा मूँग	5 क्वि0 प्रति हेक्टेयर	
13.	मछलीपालन		
	क. IMC	40 क्वि0 प्रति हेक्टेयर	
	ख. पंगेशियस	250 क्वि0 प्रति हेक्टेयर	

8. आवेदन देने एवं चयन की प्रक्रिया –

8.1. किसानों का निबंधन – इच्छुक किसान विहित प्रपत्र अनुसूची–1, 2 तथा 3 में कृषि, उद्यान, पशुपालन एवं मत्स्यपालन प्रक्षेत्रों में चिन्हित व्यवसाय के लिए ऑन–लाईन आवेदन करेंगे। ऑफ लाईन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे। एक किसान एक से अधिक प्रक्षेत्र के लिए भी आवेदन दे सकते हैं।

क. आवेदक को आवेदन के साथ निम्न कागजात संलग्न करना होगा–

- पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र / आधार कार्ड / किसान क्रेडिट कार्ड / राशन कार्ड आदि में से किसी एक की प्रति ऑन लाईन अपलोड करना होगा।
- ऑन लाईन आवेदन किसान अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं। किसान अपने प्रखंड के ई–किसान भवन में जाकर निःशुल्क रूप में आवेदन पत्र भर सकते हैं। परियोजना निदेशक, आत्मा / प्रखंड कृषि पदाधिकारी ऑन लाईन आवेदन भराने में किसानों की मदद करेंगे।
- सभी प्रक्षेत्रों के ऑनलाईन आवेदनपत्र संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी के यहाँ जमा होंगे। प्रखंड कृषि पदाधिकारी कृषि प्रक्षेत्र के आवेदन पत्रों एवं संबद्ध कागजातों को परियोजना निदेशक, आत्मा को, पशुपालन प्रक्षेत्र के आवेदन पत्रों एवं संबद्ध कागजातों को जिला पशुपालन पदाधिकारी तथा मत्स्य प्रक्षेत्र के आवेदन पत्रों एवं संबद्ध कागजातों को जिला मत्स्य पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
- निर्धारित उत्पादकता से कम उत्पादकता प्राप्त होने पर संबंधित किसान पुरस्कार के योग्य नहीं माने जायेंगे।

9. प्रखंड स्तर पर आवेदन देने के लिए समय सीमा का निर्धारण –

किसान का चयन कृषि, उद्यान, पशुपालन एवं मत्स्यपालन प्रत्येक क्षेत्र के लिए अलग–अलग करना है। इसलिए संबंधित प्रक्षेत्र के फसल ईकाई/व्यवसाय विशेष की परिपक्वता के आधार पर निबंधन हेतु निर्धारित तिथि के अनुसार हीं आवेदन पत्र लिए जायेंगे। मौसमवार आवेदनपत्र देने की तिथि निम्न प्रकार से निर्धारित की जाती है–

क्र0 सं0	प्रक्षेत्र	मौसम	आवेदन देने की तिथि	आवेदकों की जाँच एवं स्वीकृति की तिथि	फसल कटनी जाँच हेतु आवेदक द्वारा आवेदन देने की तिथि	उत्पादकता जाँच की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1.	कृषि	खरीफ	15 सितम्बर से 20 अक्टूबर	आवेदन पत्र प्राप्ति के 10 दिनों के अंदर	फसल कटने के 10 दिन पूर्व	कॉलम 5 के अनुसार
2.	कृषि	रबी	15 नवम्बर से 15 जनवरी	''	''	कॉलम 5 के अनुसार
3.	कृषि	गर्मा	15 मार्च से 15 अप्रैल	''	''	कॉलम 5 के अनुसार
4.	पशुपालन	–	15 सितम्बर से 15 अक्टूबर	''	निदेशक पशुपालन द्वारा निर्धारित।	कॉलम 5 के अनुसार
5.	मत्स्यपालन	–		''	निदेशक मत्स्य द्वारा निर्धारित।	
	IMC	–	अगस्त	''		जनवरी–फरवरी
	पंगेसियस	–	मार्च	''		जून–जुलाई

10. उत्पादकता मूल्यांकन/निर्धारण हेतु समिति का गठन – कृषि प्रक्षेत्र में किसानों से प्राप्त आवेदन पत्र की जाँच, स्वीकृति, उत्पादकता का निर्धारण/मूल्यांकन एवं अन्य कार्यों के सम्पादन हेतु प्रखण्ड स्तर पर एक मूल्यांकन समिति का गठन किया जाता है जिसके सदस्यों का विवरण निम्न प्रकार से है –

- प्रखंड कृषि पदाधिकारी – संयोजक
- प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी – सदस्य

(182)

- उद्यान पदाधिकारी/उद्यान निरीक्षक /
  सहायक निदेशक, उद्यान द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी – सदस्य
- मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/
  जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी – सदस्य
- प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक/पदाधिकारी – सदस्य
- प्रखंड तकनीकी प्रबंधक/
  प्रखंड मुख्यालय के वरीय सहायक तकनीकी प्रबंधक/
  प्रखंड मुख्यालय का कृषि समन्वयक – सदस्य

- उपर्युक्त सदस्यों में से 03 सदस्यों की उपस्थिति/जाँच से कोरम पूरा माना जाएगा, परन्तु संयोजक की उपस्थिति अनिवार्य होगी। मूल्यांकन समिति के मूल्यांकन संबंधी प्रपत्र अनुसची–4 के रूप में संलग्न है।
- निदेशक पशुपालन, बिहार द्वारा पशुपालन क्षेत्र के किसानों से प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच, स्वीकृति, उत्पादकता का निर्धारण/मूल्यांकन एवं अन्य कार्यों के सम्पादन हेतु एक मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा।
- निदेशक मत्स्यपालन, बिहार द्वारा मत्स्यपालन क्षेत्र के किसानों से प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच, स्वीकृति, उत्पादकता का निर्धारण/मूल्यांकन एवं अन्य कार्यों के सम्पादन हेतु एक मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा।

11. उत्पादकता का मूल्यांकन/निर्धारण –

- कृषि प्रक्षेत्र के लिए निर्धारित अवधि में संबंधित किसान द्वारा प्रखंड कृषि पदाधिकारी को उत्पादकता निर्धारण हेतु फसल जाँच कटनी के लिए फसल कटने के 10 दिन पूर्व आवेदनपत्र दिया जाएगा। आवेदक के आवेदन के आलोक में प्रखंड स्तरीय मूल्यांकन समिति द्वारा क्षेत्र का भ्रमण कर प्रति एकड़ उत्पादकता का निर्धारण कंडिका सं0 05 में वर्णित शर्त्तों/मापदण्डों के आलोक में किया जाएगा।
- निदेशक पशुपालन, बिहार द्वारा निर्गत अनुदेश के आलोक में उत्पादकता प्रति इकाई (02 गाय) का निर्धारण किया जाएगा।
- निदेशक मत्स्य, बिहार द्वारा निर्गत अनुदेश के आलोक में उत्पादकता प्रति एकड़ का निर्धारण किया जाएगा।

181

12. प्रखंड स्तर पर प्राप्त आवेदनपत्रों को जिला में भेजने की प्रक्रिया –

- प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा कृषि प्रक्षेत्र के प्रत्येक प्रक्षेत्र/व्यवसाय के सभी आवेदन पत्रों एवं सम्बद्ध कागजातों तथा मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन अलग–अलग परियोजना निदेशक, आत्मा को उपलब्ध कराया जाएगा।
- पशुपालन प्रक्षेत्र के आवेदन पत्रों एवं सम्बद्ध कागजातों को प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा जिला पशुपालन पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।
- मत्स्यपालन प्रक्षेत्र के आवेदन पत्रों एवं सम्बद्ध कागजातों को प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा जिला मत्स्य पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।

13. कृषक चयन हेतु जिला स्तर पर समिति का गठन

(क) कृषि/मत्स्यपालन प्रक्षेत्र के लिए

• जिला कृषि पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
• जिला पशुपालन पदाधिकारी	–	सदस्य
• सहायक निदेशक, उद्यान	–	सदस्य
• कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र	–	सदस्य
• परियोजना निदेशक, आत्मा	–	सदस्य सचिव (कृषि प्रक्षेत्र के लिए) एवं मत्स्य के लिए सदस्य
• जिला मत्स्यपालन पदाधिकारी	–	सदस्य सचिव (मत्स्यपालन प्रक्षेत्र के लिए) एवं कृषि प्रक्षेत्र के लिए सदस्य

(ख) पशुपालन प्रक्षेत्र के लिए

• जिला पशुपालन पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
• जिला कृषि पदाधिकारी	–	सदस्य
• जिला मत्स्यपालन पदाधिकारी	–	सदस्य
• सहायक निदेशक, उद्यान	–	सदस्य
• कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र	–	सदस्य
• परियोजना निदेशक, आत्मा	–	सदस्य

14. प्रखंड एवं जिला स्तर पर प्रक्षेत्र/व्यवसाय के लिए कृषक चयन की प्रक्रिया :–

14.1. कृषि प्रक्षेत्र के लिए –

14.1.1. प्रखंड स्तर पर चयन

- परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा प्रक्षेत्रवार प्रखंडवार उत्पादकता के आधार पर कृषकवार वरीयता सूची बनाई जाएगी।
- प्रत्येक प्रक्षेत्र में कृषक चयन के लिए प्रक्षेत्रवार प्रखंडवार कृषकवार वरीयता सूची एवं सम्बद्ध कागजातों को परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा कृषि प्रक्षेत्र के लिए गठित जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में रखा जाएगा।
- जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा प्रत्येक प्रक्षेत्र में प्रत्येक प्रखंड के लिए अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने वाले प्रथम 3–3 किसानों का चयन किया जाएगा।
- प्रत्येक प्रखंड में प्रत्येक प्रक्षेत्र के लिए सर्वोच्च उत्पादकता प्राप्त करने वाले किसान को किसान श्री के रूप में चयनित किया जाएगा।
- प्रत्येक प्रखंड में प्रत्येक व्यवसाय/इकाई के लिए वरीयता सूची अलग–अलग परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा परियोजना निदेशक आत्मा/जिला कृषि पदाधिकारी/जिला समाहरणालय के सूचनापट पर प्रकाशित की जाएगी।

14.1.2. जिला स्तर पर चयन

- परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा जिले में प्रत्येक प्रक्षेत्र के लिए सभी प्रखंडों से प्राप्त उत्पादकता को समेकित करते हुए कृषकवार वरीयता सूची बनाई जाएगी।
- परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा इसे जिला स्तरीय चयन समिति के बैठक में रखा जाएगा।
- जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा जिला में प्रत्येक प्रक्षेत्र में अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने वाले प्रथम 2–2 किसानों का चयन किया जाएगा।
- प्रत्येक जिला में प्रत्येक प्रक्षेत्र के लिए सर्वोच्च उत्पादकता प्राप्त करने वाले किसान को किसान गौरव के लिए चयनित किया जाएगा।
- जिला में प्रत्येक व्यवसाय/इकाई के लिए वरीयता सूची अलग–अलग परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा परियोजना निदेशक आत्मा/जिला कृषि पदाधिकारी/जिला समाहरणालय के सूचनापट पर प्रकाशित की जाएगी।
- अगर किसी प्रखंड के किसी प्रक्षेत्र/व्यवसाय के सर्वश्रेष्ठ किसान जिला स्तर के पुरस्कार के लिए चयनित किए जाते हैं तो उस प्रखंड के उस व्यवसाय/इकाई के द्वितीय वरीयतम किसान प्रखंड में उस इकाई/व्यवसाय के लिए सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में चयनित समझे जायेंगे।

(179)

- परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा जिला स्तर पर प्रत्येक प्रक्षेत्र के लिए सर्वोच्च उत्पादकता प्राप्त करने वाले चयनित किसान का नाम एवं पता, चयन समिति के बैठक की कार्यवाही तथा संबंधित किसान से संबंधित सभी कागजात निदेशक बामेती, बिहार, पटना को समिति के अनुमोदन के एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करायेंगे।

14.2. पशुपालन प्रक्षेत्र के लिए –

14.2.1. प्रखंड स्तर पर चयन

- जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा प्रखंडवार कृषकवार उत्पादकता के आधार पर वरीयता सूची बनाई जाएगी।
- प्रखंड स्तर पर कृषक चयन के लिए प्रखंडवार कृषकवार वरीयता सूची एवं सम्बद्ध कागजातों को जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा पशुपालन प्रक्षेत्र के लिए गठित जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में रखा जाएगा।
- जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा प्रत्येक प्रखंड में पशुपालन प्रक्षेत्र के लिए अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने वाले प्रथम 3–3 किसानों का चयन किया जाएगा।
- प्रत्येक प्रखंड में पशुपालन प्रक्षेत्र के लिए सर्वोच्च उत्पादकता प्राप्त करने वाले किसान को किसान श्री के रूप में चयनित किया जाएगा।
- प्रत्येक प्रखंड के लिए वरीयता सूची जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के सूचनापट पर प्रकाशित की जाएगी।

14.2.2. जिला स्तर पर चयन

- जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा जिले में पशुपालन प्रक्षेत्र के लिए सभी प्रखंडों से प्राप्त उत्पादकता को समेकित करते हुए कृषकवार वरीयता सूची बनाई जाएगी।
- जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा इसे पशुपालन प्रक्षेत्र के लिए गठित जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में रखा जाएगा।
- जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा जिला में पशुपालन प्रक्षेत्र में अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने वाले प्रथम 2–2 किसानों का चयन किया जाएगा।
- प्रत्येक जिला में पशुपालन प्रक्षेत्र के लिए सर्वोच्च उत्पादकता प्राप्त करने वाले किसान को किसान गौरव के रूप में चयनित किया जाएगा।
- जिला के लिए वरीयता सूची जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के सूचनापट पर प्रकाशित की जाएगी।
- अगर किसी प्रखंड के सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता वाले किसान जिला स्तर के पुरस्कार के लिए चयनित किए जाते हैं तो उस प्रखंड के द्वितीय वरीयतम किसान प्रखंड में सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में चयनित समझे जायेंगे।

1778

- जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा सर्वोच्च उत्पादकता प्राप्त करने वाले चयनित किसान का नाम एवं पता, चयन समिति के बैठक की कार्यवाही तथा संबंधित किसान से संबंधित सभी कागजात निदेशक पशुपालन, बिहार, पटना को समिति के अनुमोदन के एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करायेंगे।

14.3. मत्स्यपालन प्रक्षेत्र के लिए –

14.3.1. प्रखंड स्तर पर चयन

- जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा प्रखंडवार कृषकवार उत्पादकता के आधार पर वरीयता सूची बनाई जाएगी।
- प्रखंड स्तर पर कृषक चयन के लिए प्रखंडवार कृषकवार वरीयता सूची एवं सम्बद्ध कागजातों को जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा मत्स्य प्रक्षेत्र के लिए गठित जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में रखा जाएगा।
- जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा प्रत्येक प्रखंड में मत्स्य प्रक्षेत्र के लिए अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने वाले प्रथम 3–3 किसानों का चयन किया जाएगा।
- प्रत्येक प्रखंड में मत्स्य प्रक्षेत्र के लिए सर्वोच्च उत्पादकता प्राप्त करने वाले किसान को किसान श्री के रूप में चयनित किया जाएगा।
- प्रत्येक प्रखंड के लिए वरीयता सूची जिला मत्स्य पदाधिकारी के कार्यालय के सूचनापट पर प्रकाशित की जाएगी।

14.3.2. जिला स्तर पर चयन

- जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा जिले में मत्स्य प्रक्षेत्र के लिए सभी प्रखंडों से प्राप्त उत्पादकता को समेकित करते हुए कृषकवार वरीयता सूची बनाई जाएगी।
- जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा इसे मत्स्य प्रक्षेत्र के लिए गठित जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में रखा जाएगा।
- जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा जिला में मत्स्य प्रक्षेत्र में अधिकतम उत्पादकता प्राप्त करने वाले प्रथम 2–2 किसानों का चयन किया जाएगा।
- प्रत्येक जिला में मत्स्य प्रक्षेत्र के लिए सर्वोच्च उत्पादकता प्राप्त करने वाले किसान को किसान गौरव के रूप में चयनित किया जाएगा।
- जिला के लिए वरीयता सूची जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के सूचनापट पर प्रकाशित की जाएगी।
- अगर किसी प्रखंड के सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता वाले किसान जिला स्तर के पुरस्कार के लिए चयनित किए जाते हैं तो उस प्रखंड के द्वितीय वरीयतम किसान प्रखंड में सर्वश्रेष्ठ किसान के रूप में चयनित समझे जायेंगे।

177

- जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा सर्वोच्च उत्पादकता प्राप्त करने वाले चयनित किसान का नाम एवं पता, चयन समिति के बैठक की कार्यवाही तथा संबंधित किसान से संबंधित सभी कागजात निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना को समिति के अनुमोदन के एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करायेंगे।

15. राज्य स्तर पर कृषक चयन हेतु कृषि प्रक्षेत्र के लिए समिति का गठन –

परियोजना निदेशक आत्मा से प्राप्त आवेदनपत्रों की जाँच एवं वरीयता निर्धारण तथा चयन प्रक्रिया को पूरी कराने के लिए राज्य स्तर पर एक समिति का गठन किया जाता है जिसके सदस्यों का विवरण निम्नलिखित प्रकार से होगा–

- निदेशक कृषि, बिहार, पटना – अध्यक्ष
- निदेशक पशुपालन, बिहार, पटना – सदस्य
- निदेशक उद्यान, बिहार, पटना – सदस्य
- निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना – सदस्य
- निदेशक गव्य विकास, बिहार, पटना – सदस्य
- निदेशक पी0पी0एम0, बिहार, पटना – सदस्य
- निदेशक भूमि संरक्षण, बिहार, पटना – सदस्य
- प्रभारी पदाधिकारी (आत्मा योजना) – सदस्य
- बामेती में वरीय उप निदेशक/स्टेट कॉओर्डिनेटर – सदस्य
- निदेशक, बामेती – सदस्य सचिव

इसमें 05 सदस्यों की उपस्थिति से कोरम पूरा माना जाएगा परन्तु अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

16. राज्य स्तर पर कृषि प्रक्षेत्र के लिए कृषक चयन की प्रक्रिया –

- निदेशक बामेती, बिहार, पटना द्वारा प्रत्येक व्यवसाय/इकाई के लिए उत्पादकता के आधार पर वरीयता सूची बनाई जाएगी।
- निदेशक बामेती, बिहार, पटना द्वारा इसे कृषि निदेशक, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की बैठक में रखा जाएगा।
- चयन समिति द्वारा प्रत्येक व्यवसाय/इकाई के लिए सर्वोच्च उत्पादकता प्राप्त करने वाले किसान का चयन किसान श्रेष्ठ पुरस्कार हेतु किया जाएगा।
- जिस जिला के जिस व्यवसाय/प्रक्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ किसान राज्य स्तर पर चयनित किए जायेंगे तो उस जिला के उस प्रक्षेत्र/व्यवसाय के दूसरे किसान जिला में सर्वश्रेष्ठ किसान (किसान गौरव) के रूप में चयनित समझे जायेंगे। इसी प्रकार से संबंधित प्रखंड के तीसरे किसान 'किसान श्री' के रूप में चयनित समझे जायेंगे।

176

17. राज्य स्तर पर पशुपालन प्रक्षेत्र के लिए कृषक चयन की प्रक्रिया

- निदेशक पशुपालन, बिहार, पटना द्वारा एक चयन समिति का गठन किया जाएगा।
- उत्पादकता के आधार पर कृषकवार वरीयता सूची बनाकर चयन समिति द्वारा सर्वोच्च उत्पादकता प्राप्त करने वाले किसान का चयन किया जाएगा। चयनित किसान का नाम एवं पता से संबंधित विवरण निदेशक, बामेती, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाएगा।
- जिस जिला के पशुपालन प्रक्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ किसान राज्य स्तर पर चयनित किए जायेंगे तो उस जिला के दूसरे किसान जिला में सर्वश्रेष्ठ किसान (किसान गौरव) के रूप में चयनित समझे जायेंगे। इसी प्रकार से संबंधित प्रखंड के तीसरे किसान 'किसान श्री' के रूप में चयनित समझे जायेंगे।

18. राज्य स्तर पर मत्स्यपालन प्रक्षेत्र के लिए कृषक चयन की प्रक्रिया

- निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना द्वारा एक चयन समिति का गठन किया जाएगा।
- उत्पादकता के आधार पर कृषकवार वरीयता सूची बनाकर चयन समिति द्वारा सर्वोच्च उत्पादकता प्राप्त करने वाले किसान का चयन किया जाएगा। चयनित किसान का नाम एवं पता से संबंधित विवरण निदेशक, बामेती, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाएगा।
- जिस जिला के मत्स्य प्रक्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ किसान राज्य स्तर पर चयनित किए जायेंगे तो उस जिला के दूसरे किसान जिला में सर्वश्रेष्ठ किसान (किसान गौरव) के रूप में चयनित समझे जायेंगे। इसी प्रकार से संबंधित प्रखंड के तीसरे किसान 'किसान श्री' के रूप में चयनित समझे जायेंगे।

19. किसान पुरस्कार का वितरण –

19.1. राज्य स्तर पर – निदेशक, बामेती, बिहार, पटना द्वारा सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत समारोह आयोजित कर प्रत्येक प्रक्षेत्र के लिए चयनित कृषकों को पुरस्कार एवं प्रशंसा पत्र वितरण की कार्रवाई करेंगे।

19.2. जिला स्तर पर –

- जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा जिला एवं प्रखंड स्तर पर चयनित किसानों के नाम एवं पता परियोजना निदेशक, आत्मा को उपलब्ध कराया जाएगा।
- परियोजना निदेशक, आत्मा द्वारा जिला पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत समारोह आयोजित कर प्रत्येक प्रक्षेत्र के लिए चयनित कृषकों को पुरस्कार एवं प्रशंसापत्र वितरण की कार्रवाई की जाएगी।

(175)

20. सामान्य अनुदेशः—

20.1. इस योजना में शामिल होने के लिए इच्छुक किसानों को निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित समय सीमा के अंदर ऑन लाईन आवेदन करना अनिवार्य होगा।

20.2. फसल परिपक्वता/कटनी की सूचना संबंधित आवेदक को कम—से—कम 10 दिन पूर्व प्रखंड कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ताकि फसल जाँच कटनी करने में कोई कठिनाई नहीं हो।

20.3. कृषकों के चयन का आधार गुणवतापूर्ण अधिक उत्पादकता रखा गया है।

20.4. मूल्यांकन समिति के सदस्यों के भ्रमण एवं इसमें होने वाले खर्च का समायोजन आत्मा योजना के कैफेटेरिया ऑफ एक्टिविटी के बी—14 (ऑपरेशनल मद) से किया जाएगा।

20.5. राज्य एवं जिला स्तर पर समारोह आयोजित कर चयनित कृषकों को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। राज्य/जिला स्तर पर आयोजित होने वाले किसान मेला/प्रदर्शनी के अवसर भी वितरण समारोह का आयोजन किया जा सकता है।

20.6. अगर कोई आवेदक गलत आवेदन/सूचना देकर पुरस्कार प्राप्त करता है तो उसका पुरस्कार को निरस्त करते हुए उसके विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

20.7. सभी प्रक्षेत्रों के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर गठित चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।

२०/३/१७

निदेशक
बामेती, बिहार, पटना

(17A)

अनुसूची– 1

किसान पुरस्कार योजना (......................) अंतर्गत कृषि/उद्यान प्रक्षेत्र में निबंधन हेतु आवेदन प्रपत्र

निबंधन संख्या एवं वर्ष–
प्रक्षेत्र का नाम –
फसल का नाम –
मौसम–

Photo

1. किसान का नाम –
2. पिता/पति का नाम –
3. पूर्ण आवासीय पता –

   ग्राम/मोहल्ला ....

   पोस्ट...थाना..

   प्रखंड...जिला...राज्य.................................

   दूरभाष/मोबाईल सं0...
4. आवेदक की श्रेणी– (अनु0 जाति/जनजाति/अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग/सामान्य) ....
5. बोई गई फसल क्षेत्र का विवरण–

   थाना सं... मौजा...

   खाता सं...प्लौट सं..

   रकबा ....
6. भूमि का विवरण – स्वयं/पटा/लीज/बटाईदार –
7. बोआई संबंधी विवरण–

   फसल प्रभेद का नाम–

   बीज दर–(कि0 ग्रा0/एकड़) –

   बीज उपचार किया गया अथवा नहीं (अगर हाँ तो दवा का नाम एवं व्यवहार दर)

   बोआई का समय–

173

बीज का श्रोत

(i) घर का नाम–

(ii) बाहर से क्रय किये जाने की स्थिति में बीज विक्रेता एवं कम्पनी का नाम एवं पता.

....

....

बोआई की विधि – (श्री विधि / जीरो टिलेज / सीड–कम–फर्टिलाइजर ड्रील / अन्य) –

बोआई की दूरी –
पौधे से पौधे –
पंक्ति से पंक्ति –
प्रति हील बीज / पौध की संख्या

8. प्रति एकड़ व्यवहार किए गए / फसल अवधि में व्यवहार किए जाने वाले उर्वरक संबंधी विवरण (मात्रा कि0 ग्राम में) –

क्र0सं0	**उर्वरक का नाम**	**उर्वरक की मात्रा (कि0ग्राम0) में**	**अभ्युक्ति**
1.	यूरिया		
2.	डी0ए0पी0		
3.	एस0एस0पी0		
4.	म्यूरेट ऑफ पोटाश		
5.	सूक्ष्म पोषक तत्व		
6.	जैविक कम्पोस्ट		
7.	वर्मी कम्पोस्ट		

प्रतिष्ठान का नाम एवं पता जहाँ से उर्वरक क्रय किया गया..

....

....

9. सिंचाई का व्यवहार–

क्र.सं.	श्रोत का नाम	बीज बुआई के बाद कितने दिनों पर सिंचाई की गई				
1	2	3	4	5	6	7
1	सरकारी नलकूप					
2	निजी नलकूप					
3	तालाब / नहर					
4	स्प्रींकलर					
5	रेन गन					
6	ड्रील					
7	अन्य					

10. कीटों के रोकथाम हेतु किये गये उपाय–

क्र0सं0	कीट का नाम	उपयोग किए गए दवा का नाम	व्यवहार दर

प्रतिष्ठान का नाम एवं पता जहाँ से कीटनाशी क्रय किया गया...

....

....

11. रोगों के रोकथाम हेतु किये गये उपाय–

क्र0सं0	रोग का नाम	उपयोग किए गए दवा का नाम	व्यवहार दर

प्रतिष्ठान का नाम एवं पता जहाँ से फफूँदनाशी दवा क्रय किया गया...

....

....

(17)

12. उपज संबंधी विवरण
    i. पौधों की संख्या प्रति वर्ग मीटर
    ii. प्रति हिल / प्रति पौध कल्लों की संख्या
    iii. प्रत्येक बाली में अनुमानित दानों की संख्या
    iv. अनुमानित उपज प्रति एकड़
13. क्या आप आत्मा / किसान क्लब / पैक्स के सदस्य हैं (अगर हाँ तो उसका विवरण दें)

    ....

    ....

14. क्या आपने कृषि / उद्यान में कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है (अगर हाँ तो उसका विवरण दें)

    ....

    ....

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी में सही है। कोई भी सूचना गलत पाए जाने पर मेरा आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है तथा आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

किसान का हस्ताक्षर

स्थान –

तिथि –

170

अनुसूची– 2

किसान पुरस्कार योजना (..............) अंतर्गत पशुपालन प्रक्षेत्र में निबंधन हेतु आवेदन प्रपत्र

1. **निबंधन संख्या एवं वर्ष–**
2. **ईकाई / व्यवसाय का नाम –**

Photo

3. किसान का नाम –
4. पिता / पति का नाम –
5. पूर्ण आवासीय पता –

ग्राम / मोहल्ला ....

पोस्ट...थाना...

प्रखंड.......................................जिला..राज्य................................

दूरभाष / मोबाईल सं0...

6. आवेदक की श्रेणी– (अनु0 जाति / जनजाति / अत्यंत पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग / सामान्य)

....

7. आवेदक के पास उपलब्ध पशुओं की संख्या

क्र0सं0	पशु का विवरण	नस्ल	प्रजाति
1.	गाय		
2.	भैंस		
3.	बाछा / बाछी		
4.	अन्य		

8. पशुआहार का विवरण (औसत आहार प्रति किलोग्राम प्रति पशु प्रति दिन)

क्र0 सं0	पशु का प्रकार	दाना	हरा चारा	विटामिन एवं मिनरल	मिक्सचर	प्रतिष्ठान का नाम एवं पता जहाँ से विटामिन, मिनरल एवं मिक्सचर क्रय किया गया
1.	गाय					
2.	भैंस					
3.	बाछा / बाछी					
4.	अन्य					

165

9. पशुओं को बीमारी से बचाने हेतु लगवाये गए टीके का विवरण

क्र0सं0	पशु का प्रकार	बीमारी का नाम	टीका का नाम	टीका का समय (महिना)	टीका देने वाली संस्था का नाम एवं पता / पशु चिकित्सक का नाम
1.	गाय				
2.	भैंस				
3.	बाछा / बाछी				
4.	अन्य				

10. पशुओं को आंतरिक कृमि रोगों से बचाव हेतु किए गए उपाय–

क्र0 सं0	पशु का प्रकार	दवा का नाम	खुराक	कितने–कितने दिनों बाद दवा दिया गया	कितनी बार दिया गया	प्रतिष्ठान का नाम एवं पता जहाँ से दवा क्रय किया गया
1.	गाय					
2.	भैंस					
3.	बाछा / बाछी					
4.	अन्य					

11. बाह्य कृमि रोगों से पशुओं के रक्षा हेतु किए गए उपाय–

क्र0 सं0	पशु का प्रकार	दवा का नाम	खुराक	कितने–कितने दिनों बाद दवा दिया गया	कितनी बार दिया गया	प्रतिष्ठान का नाम एवं पता जहाँ से दवा क्रय किया गया
1.	गाय					
2.	भैंस					
3.	बाछा / बाछी					
4.	अन्य					

12. कृत्रिम गर्भाधान का विवरण –

क्र0सं0	पशु का नाम	कितने दिनों बाद कृत्रिम गर्भाधान किया गया	कृत्रिम गर्भाधान करने वाले संस्था का नाम एवं पता
	गाय		
	भैंस		
	बाछी		

168

13. अनुमानित उत्पादकता (पशु के लिए प्रति ईकाई प्रति शाम) का विवरण –

क्र0सं0	पशु का प्रकार	प्रति पशु दूध की मात्रा	पशुओं की सं0	कुल दूध की मात्रा (वजन)
1.	गाय			
2.	भैंस			

14. क्या आप आत्मा/किसान क्लब/पैक्स के सदस्य हैं (अगर हाँ तो उसका विवरण दें)

....

....

15. क्या आपने पशुपालन/गव्य विकास में कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है (अगर हाँ तो उसका विवरण दें)

....

....

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी में सही है। कोई भी सूचना गलत पाए जाने पर मेरा आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है तथा आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

किसान का हस्ताक्षर

स्थान –

तिथि –

(167)

अनुसूची– 3

किसान पुरस्कार योजना (..................) अंतर्गत मत्स्यपालन प्रक्षेत्र में निबंधन हेतु आवेदन प्रपत्र

1. **निबंधन संख्या एवं वर्ष–**
2. **ईकाई / व्यवसाय का नाम –**
3. **मौसम–**

Photo

4. किसान का नाम –
5. पिता / पति का नाम –
6. पूर्ण आवासीय पता –

ग्राम / मोहल्ला ....

पोस्ट..थाना..

प्रखंड......................................जिला..राज्य.................................

दूरभाष / मोबाईल सं0..

7. आवेदक की श्रेणी– (अनु0 जाति / जनजाति / अत्यंत पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग / सामान्य)

....

8. किसान के पास उपलब्ध तालाब के क्षेत्रफल का विवरण –

तालाब का क्र0 सं0	थाना सं0	खाता सं0	खेसरा सं0	तालाब का क्षेत्रफल
1.				
2.				
3.				

9. तालाब में डाले गए प्रजातियों के जीरा के अनुपात का विवरण

क. IMC के लिए

क्र0 सं0	रोहू	कतला	सिल्वर कॉर्प	कॉमन कॉर्प	अन्य
1.					
2.					
3.					

166

10. संस्था का नाम एवं पता जहाँ से मछली जीरा क्रय किया गया –

क्र0 सं0	रोहू	कतला	सिल्वर कॉर्प	कॉमन कॉर्प	पंगेसियस
1.					
2.					
3.					

11. पोखर में डाले गए उर्वरक/जैव उर्वरक/अन्य का विवरण (मात्रा किलोग्राम में)

क्र0 सं0	यूरिया	फॉसफोरस	गोबर खाद	चूना	अन्य	प्रतिष्ठान का नाम एवं पता जहाँ से उर्वरक क्रय किया गया
1.						
2.						
3.						

12. तालाब में व्यवहार किए गए मछली का आहार का विवरण

क्र0सं0	आहार का नाम	आहार की मात्रा (किलो ग्राम में)
1.		
2.		
3.		

13. पोखर में छोड़े गए मछली का वजन

क्र0सं0	मछली की प्रजाति	जीरा की सं0/मात्रा	प्रत्येक जीरा का अनुमानित वजन (किलो ग्राम में)	कुल वजन (किलो ग्राम में)
1.	रोहू			
2.	कतला			
3.	सिल्वर कॉर्प			
4.	कॉमन कॉर्प			
5.	पंगेसियस			
6.	कुल			

14. क्या आप आत्मा / किसान क्लब / पैक्स के सदस्य हैं (अगर हाँ तो उसका विवरण दें)

....

....

15. क्या आपने मत्स्यपालन में कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है (अगर हाँ तो उसका विवरण दें)

....

....

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी में सही है। कोई भी सूचना गलत पाए जाने पर मेरा आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है तथा आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

किसान का हस्ताक्षर

स्थान –
तिथि –

(164)

अनुसूची–4

मूल्यांकन दल के मूल्यांकन हेतु प्रपत्र

1. प्रक्षेत्र का नाम –

2. फसल / ईकाई / व्यवसाय का नाम –

3. मौसम–

4. किसान का नाम –

5. पिता / पति का नाम –

6. पूर्ण आवासीय पता –

ग्राम / मोहल्ला ....

पोस्ट...थाना..

प्रखंड......................................जिला..राज्य.................................

दूरभाष / मोबाईल सं0...

7. आवेदक की श्रेणी– (अनु0 जाति / जनजाति / अत्यंत पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग / सामान्य)

....

8. मूल्यांकन दल के जाँच का विवरण –

जाँच की तिथि –

9. जाँच के क्रम में प्रक्षेत्र / ईकाईवार प्राप्त उत्पादकता–

क्र0 सं0	फसल / व्यवसाय / ईकाई का नाम	जाँच का रकवा	जाँच की सं0	जाँच क्षेत्र की उत्पादकता (किलोग्राम / लीटर प्रति ईकाई)	कुल उत्पादकता प्रति ईकाई (किलोग्राम / लीटर में)
1.	धान (संकर / अधिक ऊपजशील)				
2.	गेहूँ				
3.	आलू				
4.	गाय क्रॉस ब्रीड / देशी				
5.	मछली				

163

10. किसान अथवा उसके प्रतिनिधि का नाम एवं हस्ताक्षर –

11. फसल जाँच कटनी के समय गवाह के रूप में उपस्थित अन्य दो ग्रामीणों का नाम एवं हस्ताक्षर –

(आवेदक का पिता / माँ / पत्नी / भाई / भौजाई / बहन / चाचा / चाची संबंधित को छोड़कर)

i. प्रथम किसान का नाम, पिता / पति का नाम, गाँव का नाम एवं हस्ताक्षर

ii. द्वितीय किसान का नाम, पिता / पति का नाम, गाँव का नाम एवं हस्ताक्षर

12.मूल्यांकन दल के सदस्यों का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			